भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2145
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

2145. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में गैर-जमानती अपराधों के लिए क्या प्रावधान हैं ;

(ख) क्या वर्ष 2014 के बाद इसमें कोई नए प्रावधान जोड़े गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अनुसूचित जाति वर्ग से धर्मांतरित होने वाले ईसाई/मुस्लिम द्वारा अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए अपराध के मामलों में उक्त अधिनियम के अंतर्गत दंड के क्या प्रावधान हैं ;

(घ) क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग से धर्मांतरित ईसाई/मुस्लिम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए उक्त अपराध में दंड के प्रावधानों में कोई विसंगति है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विसंगति का क्या समाधान है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अध्याय 2 में अपराधों और उनके दंड के उपबंध विनिर्दिष्ट किए गए हैं । जो अपराध 3 वर्ष से कम कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय हैं, वे जमानती हैं और जो 3 वर्ष और उससे अधिक के कारावास या मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय हैं वे गैर-जमानती अपराध हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को बेहतर न्याय दिलाने के उद्देश्य से,

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का संख्या 1) के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसे 26.01.2016 को लागू किया गया था।

संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ अत्याचार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, विशेष न्यायालयों में अपराधों के विचारण के लिए विशेष लोक अभियोजकों को विनिर्दिष्ट या नियुक्त करना, कुछ पुराने अपराधों का पुनः नामकरण और विस्तार करना तथा अत्याचार के कई नए अपराधों को जोड़ना, पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ना शामिल है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 की संख्या 27) द्वारा पुनः संशोधित किया गया है, और धारा 18 के पश्चात्, एक नई धारा 18क अंतःस्थापित की गई है जो निम्नानुसार है: -

"18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या

(ख) अन्वेषण अधिकारी से ऐसे किसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने का आरोप है, की गिरफ्तारी यदि कोई हो, के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी ।

(2) संहिता की धारा 438 के उपबंध किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के किसी बात के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण में 17.08.2018 को अधिसूचित किया गया था और 20.08.2018 को लागू किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के अधीन क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए हैं। संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 (सीओ22) अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंध करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 से भाग 22 में विनिर्दिष्ट जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय, अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भाग या उनके समूह, उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमशः संबंधित हैं, अनुसूचित

जनजातियाँ समझी जाएँगी जहाँ तक उनके सदस्यों का संबंध उस अनुसूची के उन भागों में क्रमशः उनके संबंध में विनिर्दिष्ट स्थानों में रहने से है।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अधीन दिए गए उपबंध के विपरीत, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (सीओ19) अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के लिए पहचान का उपबंध करता है और यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। इसलिए, अनुसूचित जातियों के सदस्य जो ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं, वे अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं रह जाते हैं । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होते हुए भी परिभाषित अत्याचार करता है, वह इस अधिनियम के अधीन दंड के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पास संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) के अधीन क्रमशः उन्हें दिए गए अर्थ होंगे।

****